डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2001—वैशाख 5, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-10/2001/वा.क./पांच (4).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित जीवन रक्षक दवाओं को 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. एन्टी मलेरिया
   (i) क्लोरोक्वीन फास्फेट
   (ii) इंजेक्शन क्विनीन डाइहाइड्रोक्लोराइड
   (iii) इंजेक्शन क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड

2. कार्टिकास्टराइडस
   (i) डेक्सामिथॉसोन
   (ii) बिटामेथासोन
   (iii) हाइड्रो कार्टिसोन
   (iv) प्रेडनीसोलोन

3. प्लाज्मा एक्सपाण्डर्स
   - (i) डेक्ट्रोज 5%
   - (ii) डेक्ट्रोज तथा सोडियम क्लोराइड
   - (iii) हेमासिल, सारासिल
   - (iv) मेनिटॉल
   - (v) मोरल लेक्टेट, रिंगर लेक्टेट
   - (vi) सोडियम क्लोराइड
   - (vii) ह्यूमन एल्बोमिन
   - (viii) होल ह्यूमन ब्लड
   - (ix) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा

4. कार्डिक डिसऑडर में उपयोग हेतु ड्रग्स
   - (i) डिगोक्सीन प्रोसिलेरीडिन
   - (ii) डोपेमाइन
   - (iii) मेफिन्टर माइन, मेक्सिलेटाइन

5. एन्टी कोआगुलेन्टस तथा एन्टी थ्रोम्बोटिक्स
   - (i) लोवर मोलिक्यूलर वेट हेपारिन्स
   - (ii) फिब्रिनोलिटिक्स
   - (iii) यूरोकिनेस
   - (iv) स्ट्रेप्टोकिनेस
   - (v) एल्टीप्लेस

6. केन्सर/ह्दय रोग में उपयोग हेतु दर्द निवारक
   - (i) पेथिडाइन
   - (ii) मोरफिन
   - (iii) पेन्टाजोसी

7. शॉक में उपयोग हेतु ड्रग्स
   - (i) एड्रिनेलॉइन
   - (ii) नोराड्रेलाइन
   - (iii) मेंथेमबेमिन
   - (iv) डोपामाइन

8. एन्टी डायबिटिक
   - (i) इन्सुलिन

9. डिस फंक्शनल यूटरिन ब्लिडिंग में उपयोग हेतु ड्रग्स
   - (i) मेड्रोक्सी प्रोग्रेस्टीन (प्रोवेरा)

---

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमृता बेक**, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2001

क्र. एफ /10-10/2001/वा.क./पांच (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10-10/2001/वा.क./पांच (4) दिनांक 30-3-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमृता बेक,** अवर सचिव.

Raipur, the 30th March 2001

NOTIFICATION

No. F/10-10/2001/C.T./V(4).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts in whole the following Life Saving Drugs from payment of tax under the said Adhiniyam for the period from 1st April 2001 to 31st March 2002, namely :—

1. Anti Malarials
   (i) Chloroquin Phosphate
   (ii) Inj. Quinine Dihydrochloride
   (iii) Inj. Quinine Hydrochloride

2. Carticasteroids
   (i) Dexamethasone
   (ii.) Betamethasone
   (iii) Hudrocartisone
   (iv) Prednisolone.

3. Plasma Expanders
   (i). Dextrose 5%
   (ii) Dextrose & Sodium Chloride
   (iii) Heamaccel, Saraccell
   (iv) Mannitol
   (v) Moral Lactate, Ringer Lactate
   (v) Sodium Chloride
   (vii) Human Albumine
   (viii) Whole Human Blood
   (ix) Fresh Frozen Plasma.

4. Drugs use in Cardiac Disorders
   (i). Digoxin, Procillaridin
   (ii) Dopamine
   (iii) Mephentermine, Mexiletine

5. Anti-Coagulants & Antithrombotics
   (i) Lower Molecular Weight Heparins
   (ii) Fibrinolytics
   (iii) Urokinase
   (iv) Streptokinase
   (v) Alteplase

6. Pain Killers used in Cancer/Heart Disease
   (i). Pethidine
   (ii) Morphine
   (iii) Pentazocie

7. Drugs used in Shocks
   (i) Andrenaline
   (ii) Noradrenaline
   (iii) Methembamin
   (iv) Dppanine

8. Anti-Diabetic
   (i) Insuline

9. Drugs used in Dysfunctional Uterine Bleeding
   (i) Medroxy Progrestorone (Provera)

---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.